

इष्टीत पोस्ट  
आवेदनपत्र

संख्या-6/एफ1-306/2015 वेबसेट  
बिहार सरकार,  
ग्राम संसाधन विभाग

124

प्रथम

श्री. सुनील,  
ग्राम अग्रज, बिहार

समाप्त

जिला पदाधिकारी

समस्तीपुर(गडहवासी)/सारण(छपरा)/मौवा/औरंगाबाद/मधु/नवादा/मुजफ्फरपुर/मौतामडी/  
शिवहर/ग. वेणारण/कोटा/बैशाखी(हजोपुर)/दरभंगा/समस्तीपुर/चरिया/कटिहार/  
किशनगंज/भूमिनी/लखीसराय/मुंगेर/बेगुसरा

पत्रक, दिनांक :- 21-3-16

आय-व्ययक शीर्ष-2230-ग्राम तथा राजगार-01-ग्राम-ग्राम योजना-103-सामान्य ग्राम कल्याण-ग्राम  
संख्या-26उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-P-2230011030103)  
के अन्तर्गत निधि का आवंटन।

अनुसूचित विधायक के शीर्ष में प्रकाशित सूचीबद्ध 20 ग्रामों (8,2,15) के अन्तर्गत  
ने बाल वितीय वर्ष-2015-16 में 31 मार्च, 2016 तक व्यय हेतु आवसी अध्यादेश में योजित " बाल श्रमिक  
पुनर्वास-ग्राम कल्याण कोष" में जमा करने हेतु रु. 5000/- (पांच सौ हजार) मात्र प्रति बाल श्रमिक को दर  
में निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जा रहा है:-

क्र.सं.	ग्रामिक इकाईयाँ	जिला का नाम	बाल श्रमिकों की संख्या	आवृत्ति .सं.	पत्रक/समाप्तिक दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	28-01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	समस्तीपुर(गडहवासी)	10	50000	14.03.16
2	सदैव	सारण(छपरा)	29	145000	13/02.02.16
3	सदैव	मौवा	17	55000	01/03.02.16
4	सदैव	औरंगाबाद	18	90000	21/03.02.16
5	सदैव	मधु	26	130000	31/03.03.16
6	सदैव	नवादा	13	65000	16/03.03.16
7	सदैव	मुजफ्फरपुर	30	150000	58/03.03.16
8	सदैव	मौतामडी	26	140000	10.03.16
9	सदैव	शिवहर	24	20000	10.03.16
10	सदैव	ग. वेणारण(कोटा)	21	105000	21/02.02.16
11	सदैव	बैशाखी(हजोपुर)	54	270000	48/03.03.16
12	सदैव	दरभंगा	39	95000	30/03.03.16
13	सदैव	समस्तीपुर	24	120000	24/03.02.16
14	सदैव	चरिया	20	80000	30/03.03.16
15	सदैव	कटिहार	28	140000	26/03.03.16
16	सदैव	किशनगंज	25	125000	16/03.03.16
17	सदैव	भूमिनी	32	160000	30/03.03.16
18	सदैव	लखीसराय	17	85000	14/03.03.16
19	सदैव	मुंगेर	22	110000	12/03.03.16
20	सदैव	बेगुसरा	18	45000	16/03.03.16

115  
27.3.16

2. वित्त विभाग को पत्रांक-295/वि० दिनांक-24.3.15, पत्रांक-6294 वि० दिनांक-17.9.2015, एन विस आमुक्त के म्यापों जमांक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक से है।
3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाये। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय होना पड़े तो यह अतिरिक्त होगा।
4. इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र पत्रांश इस विभाग को उपलब्ध करा दो जाए।
5. यह अखंड योजना से संबंधित है।

वित्तसहायक,

18/3/16

(म. मंजूर)

अम आमुक्त, बिहार

18/3/16

पत्रांक-3/एफ-308/2015 अममं०

124

पटना, दिनांक

21-3-16

प्रतिनिधि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

18/3/16

(म. मंजूर)

अम आमुक्त, बिहार

18/3/16

पत्रांक-6/एफ-308/2015 अममं०

124

पटना, दिनांक

21-3-16

प्रतिनिधि:- वित्त विभाग को अमाप अतिरिक्त अम संसाधन निष्ठा, विचार, ध्यान/संबंधित अममं० आमुक्त/संबंधित कोषागार/उप कोषागार प्रशासिकारी/संबंधित उप अमायुक्त/संबंधित महायुक्त अमायुक्त/संबंधित अम अधीक्षक/अमायुक्त के लिये, पटना/आई.टी. सेक्टर, अम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा-2 सरकार पत्र/प्रशाखा प्रशासिकारी-01 अम पत्र को उनके फाइल/पत्रांक-103 (अम पत्र), कमरा: दिनांक-16.03.16 के आलोक से/प्रशाखा-6, अम पत्र को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संवर्णन संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जाएगा

18/3/16

(म. मंजूर)

अम आमुक्त, बिहार

18/3/16